प्रकरण संख्या 74/2021 अनवान भागीरथ वगैरा बनाम रामप्रताप वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 13.11.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या-74/2021
(जी.सी.एम.एस.-2021/114) निर्णय दिनांक -13.11.2024
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान –

01- भागीरथ पुत्र मेघाराम जाति नायक निवासी 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

02- सुखदेव सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 08 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

बनाम- ......प्रार्थीगण......

01- रामप्रताप पुत्र श्री हुणताराम जाति बैरागी निवासी 3 बीपीएम हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

02- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण ....

03- गोपीराम पुत्र श्री मेघाराम जाति नायक निवासी 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

04- टिकूराम पुत्र श्री मेघाराम जाति नायक निवासी 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

05- शांति देवी पत्नि मेघाराम जाति नायक निवासी 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

उपस्थिति-

01- श्री गुलशन सेतिया, वकील प्रार्थीगण।

02- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:-

प्रार्थी भागीरथ के नाम से वाके चक 4 बी.पी.एम. का मु.न. 124/420 का कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 का 2.530 है0 भूमि तरतीबी पक्षकारान के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है एंव प्रार्थी सुखदेवसिंह के नाम से इसी मुरब्बा का कि.न. 1/2, 2, 3, 23 का रकबा है। प्रार्थीगण के उपरोक्त रकबा चक 4 बी.पी.एम. का मु.न. 124/420 [illegible] के कि.न. 1,10,11,20,21 में स्वीकृतशुदा रास्ता आम मौका पर [illegible] है। [illegible] प्रार्थीगण के उपरोक्त मुरब्बा नं. 124/420 का कि.न. 4,5,6,7,14,15,16,17,24,25 व कि.न. 23 में प्रवेश के लिए कोई सुगम रास्ता नही के प्रार्थीगण इसी मुरब्बा में कि.न. 21 में [illegible] स्वीकृतशुदा रास्ता आम से कि.न. 21-22 [illegible] से प्रार्थी सुखदेवसिंह अपने [illegible] कि.न. 23 में प्रवेश करता है एंव कि.न. 23 से प्रार्थी भागीरथ व तरतीबी पक्षकारान अपने रकबा कि.न. 24 में प्रवेश कर अपने रकबा में आना जाना एंव कृषि औजारो को लाने ले जाने आदि का कार्य व काश्त आदि का कार्य पूर्ण करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है यही रास्ता प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित रकबा में आने जाने के लिए सबसे सुगम रास्ता है। चूँकि उपरोक्त रास्ता प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी रकबा मे है जो कि भविष्य में कभी भी उसके द्वारा बंद अथवा बाधित किया जा सकता है यदि ऐसा होता है तो प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण भूमि काश्त करने से महरूम हो जावेगे एंव भूमि काश्त आदि के अभाव में बंजर हो जावेगी जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव काश्त आदि में भारी असुविधा भी प्रार्थीगण को होगी। प्रार्थीगण उपरोक्त मु.न. 124/420 का कि.न. 21 में चल रहा रास्ता से पूर्व दिशा की ओर कि.न. 21, 22 में 2-2 बिस्वा भूमि पत्थरलाईन के साथ-साथ रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाना चाहते है जिसके लिए आवश्यक प्रतिफल भी देने के लिए प्रार्थीगण तत्पर, तैयार व इच्छूक है। इस बाबत प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी से सम्पर्क कर कहने पर पहले तो गांव में राजस्व कैम्प आदि लगने पर रास्ता स्वीकृत करवाने का कहकर आश्वासन दिया जाता रहा किन्तु आज से दस रोज पूर्व जब प्रार्थीगण ने कहा कि गांव में ही राजस्व कैम्प लगना है व इस बाबत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानिया कहा कि वह उक्त भूमि को किसी प्रकार रास्ता आम के रूप में स्वीकृत नहीं होने देगा व प्रार्थीगण का उक्त जगह से आना जाना भी बंद व बाधित कर देगा बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। प्रार्थीगण के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित कि. न. 21-22 में 2-2 बिस्वा भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वींकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है, जिसके लिए रास्ता में आने वाली भूमि का जो भी निर्धारित प्रतिफल /मुआवजा आदि होगा को हम प्रार्थीगण अप्रार्थी को अदा करने के लिए तैयार, तत्पर है। चूँकि उपरोक्त भूमि प्रार्थी भागीरथ की तरतीबी पक्षकारान के साथ संयुक्त खाता में है व आज रोज यह प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए तरतीबी पक्षकारान उपस्थित होने में असमर्थ है इसलिए उन्हे बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है जो भी उक्त रास्ता प्राप्त करने मे सहमत है वे चाहे तो बाद में प्रार्थी बन सकते है। प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के रकबा चक 4 बी.पी.एम. का मु.न. 124/420 का कि.न. 23 व 24 तथा प्रार्थीगण के अन्य रकबा में प्रवेश के लिए इसी मुरब्बा का कि.न. 21 में चल रहा रास्ता से कि.न. 21-22 में 2-2 बिस्वा भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 05 द्वारा अपना इकबाली [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाहे गये [illegible] हेतु सहमति प्रदान की गई। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्री[illegible] से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 [illegible] 12 जी0बी0 एवं पटवारी हल्का 23 एसडी की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। भू-अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता परम आवश्यक है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है, नजरी नक्शा संलग्न है। रास्ते की परम आवश्यकता है, जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। न्युनतम एवं निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। चाहा गया सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 की भूमि में से होकर जाता है। चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नही है। चाहे गये रास्ता की जगह किला नम्बर 21 में काश्तकार द्वारा एक पक्का मकान बनाया हुआ है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। चाहे गये रास्ता की जगह किला नम्बर 21 में काश्तकार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर होने के बाद एक पक्का मकान बनाया हुआ है। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी रकबा तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक/स्वीकृत शुद्धा मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:क्रियान्वन आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्रीविजयनगर के मु.न. 124/420 के कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 में प्रवेश के लिए इसी मु.न. 124/420 के कि.न. 21, 22 में 2-2 बिस्वा रास्ता (दक्षिण दिशा की तरफ) स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम [illegible] कर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आदिनांक 13/11/2024 को [illegible] लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:56:18 IST
Reason: SelfAttested

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Scanned with CamScanner